



परिवहन विभाग
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2014–2015



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला–171004

प्राक्कथन

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। यहां पर रेल सम्पर्क मार्ग नगण्य है तथा राज्य के अधिकांश क्षेत्र सड़क मार्गों से ही जुड़े हुए हैं ।

नई सड़कों का निर्माण होने के कारण लोगों द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा इस बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी बस रूट परमिट जारी किये जा रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत सभी सड़कों से जुड़े गांव, कस्बों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ जनता को भी अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है । परिवहन क्षेत्र में यात्री एवं माल-परिवहन के संचालन नियन्त्रण एवं विकास के लिये परिवहन विभाग क्रियाशील है और इस कार्य को राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं दस क्षेत्रीय प्राधिकरणों के अशासकीय सदस्यों के सहयोग से निष्पादन करने का कार्य कर रहा है। गत वर्ष में विभाग की कार्य निष्पादन प्रणाली के सरलीकरण एवं विकेन्द्रीयकरण की ओर कई कदम उठाए गए हैं। इन में प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत करने की शक्तियों को ; कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टर के लिये कर छूट देने की शक्तियों को; ट्रेड सर्टीफिकेट जारी करने की शक्तियों को जारी करने की शक्तियों को एवं अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने की शक्तियों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के स्तर पर विकेन्द्रित किया गया है ताकि इन कार्यों के निष्पादन में कुशलता आ सके। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये एच0एस0आर0पी0 बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है तथा समय पर नम्बर प्लेट उपलब्ध न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष में भी विभाग रेडियो टैक्सी सेवा, व्हीकल ट्रेकिंग सेवा, एकीकृत किराया कार्ड सूविधा एवं अपनी सभी सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत माध्यम से देने के प्रति कृत संकल्प है।

निदेशक परिवहन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-4.

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2014–2015

हिमाचल प्रदेश सरकार

1.	विभाग का नाम	परिवहन विभाग	
2.	विभाग के मन्त्री	श्री जी० एस० बाली	01.04.2014 से 31.03.2015
3.	विभाग के सचिव	श्री अजय मित्तल, भा०प्र०से० अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)	01.04.2014 से 31.03.2015
4.	विभाग के प्रमुख	श्री रितेश चौहान भा०प्र०से०	01.04.2014 से 31.07.2014
		डा० आर० एन० बत्ता भा०प्र०से०	01.08.2014 से 31.03.2015

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य जानकारी	1
2	विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा	2-5
3	वार्षिक कार्यवाही योजना, मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें तथा उपलब्धियां	6-8
4	परिवहन प्राधिकरण	8-15
5	परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली	15
6	विभाग के आंकड़े	15-21
7	बस अड्डों का निर्माण	21

1. सामान्य जानकारी

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश देश का मुकुट है जो हिमालय की गोद में स्थित है । इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड, दक्षिण में हरियाणा तथा पश्चिम में पंजाब स्थित है ।

वैसे तो सड़क परिवहन पूरे देश में ही यातायात का प्रमुख साधन है परन्तु हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में रेल व जल परिवहन केवल नाम मात्र ही है। सड़क परिवहन का प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है ।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का गठन 1949 में हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश एक केन्द्र शासित प्रदेश था। 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् प्रदेश में नये परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ । 2 अक्टूबर, 1974 को हिमाचल राज्य परिवहन (एच0जी0टी0.) से इसका पुनर्गठन करके परिवहन विभाग का स्वरूप दिया गया तथा आयुक्त परिवहन की भी नियुक्ति की गई । 13 जनवरी, 1975 को परिवहन विभाग तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों का एकीकरण किया गया व आयुक्त परिवहन को इस विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

प्रदेश में सड़क परिवहन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है जिसका सहज आभास इस आधार पर हो सकता है कि 1990-91 में प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 67103 थी, जो अब बढ़कर 10,77,404 हो गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में परिवहन क्षेत्र में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां रू0 214.14 करोड़ हो गई है। प्रदेश में 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यरत हैं। वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने के लिए 3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) के कार्यालय शिमला कुल्लू तथा धर्मशाला में कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 12 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए0आर0टी0ओ0) बैरियर स्थापित हैं। इन बैरियरों की स्थापना के फलस्वरूप काफी हद तक प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन पर रोक लगी है और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है ।

विभाग परिवहन के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है ।

विभाग अपने कर्तव्यों का निष्पादन निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत करता है :-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989
3. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972
4. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1974
5. हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999
6. यात्री अनुग्रह अनुदान योजना

2. विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1. निदेशक परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं । निदेशालय में संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) नियुक्त हैं । इसके अतिरिक्त विभाग का कार्य सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए सहायक नियन्त्रक, (वित्त एवं लेखा) पदस्थ हैं । सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्यालय भी निदेशालय में ही स्थित है जोकि अतिरिक्त आयुक्त परिवहन का कार्य भी देखते हैं ।

2.2 परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने की दृष्टि से प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपने-अपने जिले के कार्यों की देख-भाल करते हैं । वह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले राजस्व जिले
1.	शिमला	शिमला व किन्नौर
2.	सोलन	सोलन
3.	मण्डी	मण्डी
4.	हमीरपुर	हमीरपुर
5.	कुल्लू	कुल्लू व लाहौल एवं स्पिति
6.	धर्मशाला	कांगड़ा
7.	बिलासपुर	बिलासपुर
8.	चम्बा	चम्बा
9.	ऊना	ऊना
10.	नाहन	सिरमौर

2.3 वाहनों के बढ़ते हुए पंजीकरण एवं जनता की सुविधा की दृष्टि से टैक्सियों, अन्य पर्यटन वाहनों तथा यात्री आटो रिक्शा के पंजीकरण को छोड़ कर सभी गाड़ियों के पंजीकरण के लिए उप-मण्डलीय अधिकारी को पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	जिला शिमला	शिमला (शहरी), शिमला (ग्रामीण), रामपुर, रोहडू, ठियोग, चौपाल, डोडरा-क्वार
2.	जिला किन्नौर	पूह, कल्या, निचार स्थित भावानगर
3.	जिला सोलन	सोलन, परवाणू, नालागढ़, कण्डाघाट, अर्की
4.	जिला सिरमौर	नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, संगड़ाह, शिलाई
5.	जिला ऊना	ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली
6.	जिला हमीरपुर	हमीरपुर, बड़सर, नदौन, भोरंज, सुजानपुर
7.	जिला मण्डी	मण्डी (सदर), मण्डी (ग्रामीण) करसोग, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, गोहर, सुन्दरनगर, पधर, धर्मपुर
8.	जिला कुल्लू	कुल्लू, आनी, बन्जार, मनाली

9.	जिला कांगड़ा	कांगड़ा, देहरा-गोपीपुर, पालमपुर, नूरपुर, धर्मशाला, ज्वाली, बैजनाथ, जयसिंहपुर व ज्वालाजी
10.	जिला बिलासपुर	बिलासपुर व घुमारवीं
11.	जिला लाहौल एवं स्पिति	काज़ा, केलांग व उदयपुर
12.	जिला चम्बा	डलहौजी, चम्बा, भरमौर, पांगी चुराह (तीसा), चुवाड़ी (भटियात), सलूनी।

2.4 वर्ष 2014-15 में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

क्र०सं०	पद नाम	भरे हुए पदों की सं०	रिक्त पदों की सं०	कुल पद
1.	निदेशक परिवहन, हि०प्र०से०	1	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक परिवहन एवं सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हि०प्र०से०	1	—	1
3.	उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उडनदस्ता, मुख्यालय, हि०प्र०से०	1	—	1
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हि०प्र०से०/विभागीय	11	1	12
5.	सहायक नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा	1	—	1
6.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—	1
7.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	7	5	12
8.	सहायक आयुक्त, तकनीकी	1	—	1
9.	अनुभाग अधिकारी, एस०ए०एस०	1	2	3
10.	अधीक्षक ग्रेड-II	13	..	13
11.	वरिष्ठ सहायक/क० सहायक	27	19	46
12.	कम्प्युटर ऑपरेटर	1	—	1
13.	वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक /मोटर वाहन निरीक्षक	9	3	12
14.	वरिष्ठ आशुलीपिक	1	—	1
15.	कनिष्ठ आशु लिपिक	0	1	1
16.	आशु टंकक	4	3	7
17.	कनिष्ठ आडिटर	—	2	2
18.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	62	9	71
19.	चालक (स्थाई)	8	—	8
20.	दफतरी	—	1	1
21.	चपड़ासी	14	1	15
22.	चौकीदार	3	..	3
23.	जमादार सफाई कर्मचारी	1	1	2
24.	यातायात निरीक्षक	9	3	12
25.	आरक्षी	6	0	6
26.	चालक अनुबन्ध पर	7	..	7
27.	चपड़ासी दैनिक वेतन भोगी	8	—	8
28.	गृह रक्षक दैनिक वेतन भोगी	37	—	37
29.	अंशकालिक कार्यकर्ता (including 4 converted in daily wages)	04		04
	कुल	239	51	290

2.5 वर्ष 2014–2015 में निम्नलिखित अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-

1.	निदेशक परिवहन	1 श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से0 2 डा0 आर0 एन0 बत्ता भा0प्र0से0	01.04.2014 से 31.07.2014 01.08.2014 से 31.03.2015
2.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हिमाचल प्रदेश।	1 श्री संजय शर्मा, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 31.03.2015
3.	संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) शिमला, हि0प्र0।	1 श्रीमति रीमा कश्यप, हि0प्र0से0 2 कैप्टन रमन शर्मा, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 28.07.2014 28.07.2014 से 31.03.2015
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	1. कैप्टन रमन शर्मा, हि0प्र0से0 2. श्री प्रशांत देष्ठा, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 27.07.2014 28.07.2014 से 31.03.2015
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	1 श्री राकेश वर्मा, हि0प्र0से0 2 श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय 3 श्री अश्वनी कुमार हि0प्र0से0	01.04.2014 से 13.10.2014 13.10.2014 से 16.03.2015 17.03.2015 से 31.03.2015
6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	श्री मदन कुमार, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 31.03.2015
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू	1 श्रीमति शशी ठाकुर, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री राज कृष्ण ठाकुर, हि0प्र0से0	01.04.2015 से 16.04.2015 17.04.2015 से 31.03.2016
8.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन	1. श्री निशान्त ठाकुर, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 31.03.2015
11	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	श्री मोहन लाल धीमान, विभागीय	01.04.2014 से 31.03.2015
12	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़नदस्ता) धर्मशाला	श्री अश्वनी कुमार चौधरी, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 31.03.2015
13	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) कुल्लू	1 श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय 2 श्री राकेश वर्मा, हि0प्र0से0 3 श्री चमन लाल, हि0प्र0से0 4 श्री अश्वनी कुमार, हि0प्र0से0 (अतिरिक्त कार्यभार)	01.04.2014 से 10.10.2014 03.11.2014 से 18.11.2014 19.11.2014 से 03.12.2014 15.01.2015 से 31.03.2015
14	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	1 श्री अक्षय सूद, हि0प्र0से0 2 श्री किशोरी लाल, हि0प्र0से0	01.04.2014 से 16.06.2014 23.06.2014 से 31.03.2015
15	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा	1 श्री ओंकार सिंह बोधपाल, अधीक्षक ग्रेड-1, विभागीय, (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री राम प्रकाश, अधीक्षक ग्रेड-2	01.04.2014 से 28.10.2014 29.10.2014 से 27.03.2015

		(अतिरिक्त कार्यभार) 3 श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय	27.03.2015 से 31.03.2015
16	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नाहन	श्री सुनील शर्मा, विभागीय	01.04.2014 से 31.03.2015
17	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना	1 श्री रमेश चन्द ठाकुर, हि0प्र0से0 2 श्री एस0 के0 पराशर, हि0प्र0से0 3 श्री ओंकार सिंह बोधपाल, विभागीय	01.04.2014 से 31.05.2014 19.05.2014 से 03.03.2015 03.03.2015 से 31.03.2015
18	सहायक आयुक्त, तकनीकी	1 श्री मोहन लाल धीमान 2 श्री आर0 एस0 चौधरी 3 श्री ओम प्रकाश पूरी	01.04.2014 से 19.04.2014 19.04.2014 से 16.07.2014 18.09.2014 से 31.03.2015
19	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1 श्री रोशन लाल पराशर, (एस0ए0एस0) 2 श्री देवेन्द्र पाल चौहान, (एस0ए0एस0)	01.04.2014 से 07.08.2014 23.08.2014 से 31.03.2015

3 वार्षिक कार्यवाही योजना एवं मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें, उपलब्धियां इत्यादि का विवरण :-

- 3.1.1 विभाग ने इस वर्ष परिवहन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन क्षेत्रों में 7 नए पथ प्रमाण-पत्र जारी किये । इस प्रकार एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में आम जनता को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है ।
- 3.1.2 गत वर्ष विभाग ने सशोधित 214.14 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के मुकाबले रूपये 220.10. करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया ।
- 3.1.3 प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने हेतु विभाग ने प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर परवाणू, पावंटा साहिब, स्वारघाट, डमटाल, कण्ठवाल, मैहत्तपुर, गगरेट, कालाअम्ब, बददी, बरोटीवाला व तुन्नुहट्टी में परिवहन बैरियरों की स्थापना की है, जिससे एक ओर वाहनों का अवैध प्रचलन काफी हद तक रुका है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में मु0 764.25 लाख की आय हुई है ।
- 3.1.4 परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मोटर वाहन नियमों की उलंघना करने वालों के विरुद्ध 51,011 चालान किए व वाणिज्य वाहनों में चालकों द्वारा मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर तुरन्त रोक लगा दी गई ताकि दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सके ।
- 3.1.5 विभाग द्वारा परिवहन क्षेत्र में भी हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना से रोजगार सृजन किया जा रहा है । इस योजना के तहत विभाग द्वारा 31.03.2015 तक 29 लोगों को हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु बस परमिट प्रदान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान 16,093 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया गया ।

- 3.1.6 विभाग यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को बसों की खरीद एवं उनके उचित रख-रखाव के लिए 26.34 करोड़ रुपये की धनराशि (जनरल प्लान) व 1006 लाख रुपये की धनराशि (एस0सी0एस0पी0) पूंजीनिवेश के रूप में उपलब्ध करवाए गई है।
- 3.1.7 हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हेतु मु0 135.00 करोड़. रू0 भी उपलब्ध करवाए गए हैं ।
- 3.1.8 जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभाग ने जनजातीय उप-योजना में वर्ष के दौरान 360 लाख रू0 बसों की खरीद एवं उनके रख-रखाव के लिए निगम को उपलब्ध करवाए हैं।
- 3.1.9 परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष में निगम को 3000 लाख रु की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।
- 3.1.10 प्रदेश में उप-मण्डल एवं खण्ड स्तर पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण के लिये वर्ष के दौरान 94198 लाख की राशि बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में बस अड्डों के निर्माण के लिये 38.50 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- 3.1.11 प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के निर्माण के लिये 1.00 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया गया है।
- 3.1.12 परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में वाहनों की चैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप विभाग ने मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले 9368 वाहनो से जुर्माना स्वरुप मुं0 1,06,58.793 रुपये का राजस्व प्राप्त किया ।
- 3.1.13 प्रदूषण केन्द्र अधिकृत करने के लिये शक्तियां सरकार के बजाय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्रदान की गई।
- 3.1.14 एच0एस0आर0पी0 बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया तथा समय पर प्लेट उपलब्ध न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का प्रावधान किया गया।
- 3.1.15 विभाग में पारदर्शिता एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिये परिवहन सेवा प्रदाता योजना बनाई गई है। जिसके अंतर्गत 279 परिवहन सेवा प्रदाताओं को लाईसैन्स जारी कर दिये गए है।
- 3.1.16 50 कि0 मी0 के दायरे में चलने वाली बसों में विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिये बाई ओर 40 प्रतिशत सीटे वरिष्ठ नागरिक, विकलांगों, महिलाओं व कैंसर रोगी यात्रियों के लिये चिन्हित की गई।
- 3.1.17 हिमाचल पथ परिवहन निगम की तारादेवी, सोलन, कुल्लू, नाहन, बिलासपुर तथा मण्डी . कार्यशालाओं को वाणिज्यक वाहनो की पासिंग के लिये अधिकृत किया गया है।
- 3.1.18 कर चोरी रोकने, सड़क सुरक्षा सूनिश्चित करने एवं सूचारु परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिये 4 विशेष उड़न दस्तों का विशेष गठन किया गया है।

- 3.1.19 कृषि के लिये ट्रैक्टर पंजीकरण एवं कर छूट देने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
- 3.1.20 विभाग द्वारा नया लोगो तैयार किया गया।
- 3.1.21 सड़क सुरक्षा के लिये विभाग को 50 लाख रु0 की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- 3.1.22 परिवहन निदेशालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शिमला, सोलन एवं टिपरा परवाणू, बद्दी, स्वारघाट बैरीयर को सी0सी0टी0वी0 से जोड़ा गया।
- 3.1.23 विभाग में कार्य कुशलता के लिये अधिकारियों को प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजा गया।
- 3.1.24 अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।
- 3.1.25 ट्रेड सर्तीफिकेट जारी करने के लिये प्रदेश के पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।
- 3.1.26 माल भार यान के राष्ट्रीय परमिट/टैक्सी मैक्सी परमिट स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

3.2 विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ:-

- 3.2.1 रेडियो टैक्सी सेवा प्रदान करना।
- 3.2.2 व्हीकल ट्रेकिंग सेवा प्रदान करना।
- 3.2.3 ई- डिलीवरी सेवा प्रदान करना।
- 3.2.4 बस कतार शालिका की बेहतर सुविधा।
- 3.2.5 आधार कार्ड को वाहन/सारथी के साथ जोड़ना।

3.3 यात्री अनुग्रह योजना

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां बस दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती हैं। हि0प्र0 उन राज्यों में से एक है जिसके द्वारा बस दुर्घटनाओं में प्रभावित हुए लोगों के आश्रितों तथा दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए 2004 से यात्री अनुग्रह योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि राज्य की सीमा में हुई दुर्घटनाओं में दी जाती है।

यात्री अनुग्रह राशि की दरें निम्न प्रकार से हैं :-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | 12 वर्ष तक की आयु के यात्री | 50,000/- |
| (ख) | 12 वर्ष से ऊपर की आयु के यात्री | 1,00,000/- |
| (ग) | इसके अतिरिक्त दुर्घटना में घायल यात्रियों को उनकी अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। | |

प्रतिवेदन वर्ष में कुल दी गई अनुग्रह राशि

रूपये 59,50,000 /—

4 परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत विभिन्न परिवहन मामलों का नियमन करने हेतु निम्न प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं :-

4.1.1 राज्य परिवहन प्राधिकरण

राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों तथा नीतियों को समन्वित तथा नियमित करने, अर्न्तप्रादेशिक विवादों का निपटारा और परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों पर नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पर्यटक वाहनों के पंजीकरण तथा समस्त भारत पर्यटक परमिट स्वीकृत करने का कार्य भी करता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन 25-1-1971 के बाद किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष में राज्य परिवहन का गठन इस प्रकार किया गया था जो की निम्न प्रकार से है :-

4.1.2 राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन प्रतिवेदन वर्ष में सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84-टी0पी0टी0-लूज़-II दिनांक 10.07.2013 के अनुसार इस प्रकार किया गया है :-

सरकारी सदस्य :

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | प्रधान सचिव/सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश | सदस्य |
| 3. | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण | सदस्य सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री सरदार सिंह ठाकुर,, सूपुत्र श्री एम0आर0 ठाकुर,गांव कठेड़, डाकघर/त0/जिला सोलन, हि0प्र0।
2. श्री सुमित खन्ना, अधिवक्ता, स्थानीय निवासी, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
3. श्री राजेन्द्र मोहन, सूपुत्र स्व0 श्री गोपीराम, गां0 चाड़याण, डाकघर धुधार, त0/जिला मण्डी, हि0.प0।

इसके अतिरिक्त सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84 टी0पी0टी0 लूज़-II दिनांक 21. 10.2014 द्वारा मियां मोहेन्द्र सिंह, सूपुत्र स्व0 मियां सूरत सिंह, गांव कलौथा, डाकघर धार, त0 जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0। को श्री राजेन्द्र मोहन, सूपुत्र स्व0 श्री गोपीराम, गां0 चाड़याण, डाकघर धुधार, त0/जिला मण्डी, हि0.प0। के स्थान पर सरकार ने गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया है।

4.1.3 राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत किया गया है जिसके सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य हैं तथा प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं :-

1. सम्पूर्ण भारत भ्रमण/प्रदेश के भीतर यात्री बसों/टैक्सियों तथा मैक्सी कैबों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमितों की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. पर्यटकों की सुविधा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हि0प्र0 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत भ्रमण तथा प्रदेश सीमा में यात्री बसों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमित की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है ।
4. मालभार वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमित जारी करना ।

प्रदेश में राष्ट्रीय परमित भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (12) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमित स्कीम वर्ष 1976 में लागू की गई है । राष्ट्रीय परमित स्कीम से पहले क्षेत्रीय परमित स्कीम विद्यमान थी । वर्ष 1976 से 1986 तक राष्ट्रीय परमित कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये जाते थे किन्तु राष्ट्रीय परमित से भारत सरकार द्वारा 1-4-1986 से प्रतिबन्ध हटा दिया गया तथा सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का अब किसी भी सीमा तक परमित जारी करने का अधिकार है । प्रदेश में ऐसे परमितों की स्वीकृति में गतिशीलता लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा माल भार वाहन के नैशनल परमित/टैक्सी मैक्सी परमित स्वीकृत करने के लिये सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-2 पर सचिव (परिवहन) हि0 प्र0 सरकार जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा मोटर वाहन नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं ।

4.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गठित किया गया है जोकि उस क्षेत्र में मोटर वाहनों के संचालन पर नियन्त्रण रखने का कार्य करता है । इन प्राधिकरणों का गठन निम्न प्रकार से है :-

4.2.1 शिमला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|---|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, शिमला, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला तथा किन्नौर के लिए | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य:-

दो सदस्य ।

4.2.2 धर्मशाला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|--|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :-

दो सदस्य ।

4.2.3 मण्डी क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|--|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू तथा लाहौल स्पिति के लिए | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर | सचिव |
| 5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :-

दो सदस्य ।

4.2.4 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का पुर्नगठन सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84-टी0पी0टी0-लूज-II दिनांक 07.05.2013 के अनुसार इस प्रकार किया गया है:-

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कांगड़ा	जिला कांगड़ा
2	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, चम्बा	जिला चम्बा
3	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, ऊना	जिला ऊना
4	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
5	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर	जिला बिलासपुर
6	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, मण्डी	जिला मण्डी
7	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सोलन	जिला सोलन
8	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सिरमौर	जिला सिरमौर
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कुल्लू	जिला कुल्लू व लाहौल-स्पिति
10	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, शिमला	जिला शिमला व किन्नौर

उपरोक्त प्राधिकरणों की सदस्यता निम्न प्रकार से है :-

4.2.4.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) मण्डी		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		

1	श्री संजीव गुलेरिया, गांव व डाकघर, लैडा, त0 सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री मान सिंह, अधिवक्ता, सुपुत्र श्री जटियाराम, गांव बलोह, डाकघर गोखरा, त0 व जिला मण्डी, हि0प्र0।	सदस्य
4.2.4.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) कुल्लू और लाहौल स्पिति		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री कोश निधि आनंद (निटटू), सुपुत्र श्री रामशरण दास आनंद, गांव व डाकघर बडेली, त0 मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सुरेश कारडो, गांव करडांग, डाकघर कैलांग, जिला लाहौल स्पिति, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.3 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्रीमति अरविंद्र कौर, गांव व डाकघर मैहरे, त0 बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सुशील राणा, गांव व डाकघर वैला, त0 नदौण, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.4 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) बिलासपुर		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री बलजीत कश्यप, सुपुत्र श्री करम सिंह कश्यप, स्थानीय निवासी नजदीक, एस0डी0एम0 ऑफिस घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री बंत सिंह चदेल, सुपुत्र श्री किरपाराम, गांव व डाकघर बैरी-रायजदियान, त0 सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.5 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) कांगड़ा		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कांगड़ा जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री संजय चौधरी, उप-प्रधान धलांहा, गांव व डाकघर धलांहा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	सदस्य

2	श्री अमित पठानिया, स्थानीय निवासी, गांव व डाकघर पुनजाहरा, त0 नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.6 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री राजन कुमार, उपमन्यू, सपुत्र श्री शिवकुमार उपमन्यू, अल्पस रिजोर्टस डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री गुरुचरण कपुर, सूपुत्र श्री चतरसिंह, गांव भारीणी, डाकघर डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0। :	सदस्य
इसके अतिरिक्त सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84 टी0पी0टी0 लूज-II दिनांक 01.08.2013 द्वारा श्री अमित शर्मा, गांव जाणा, डाकघर टाकरी मटटी, त0 सलूनी, जिला चम्बा, हि0 प्र0। को श्री गुरुचरण कपुर, सूपुत्र श्री चतरसिंह, गांव भारीणी, डाकघर डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 के स्थान पर सरकार ने गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया है।		
4.2.4.7 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री दीपक लठठ, सूपुत्र श्री चैतराम लठठ, गांव व डाकघर रक्कड़ कलौनी, जिला ऊना, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सूमित कुमार शर्मा, सूपुत्र श्री हरीश कुमार शर्मा, गांव व डाकघर बसाल, त0 व जिला ऊना, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.8 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) शिमला और किन्नौर, हि0 प्र0।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला, जिला शिमला,, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री नागरुराम, गांव दियूनची-खरशाली, डाकघर लरोट, त0 चिड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री अरुण चौहान, सूपुत्र श्री मनोहर चौहान, स्थानीय निवासी चित्रकूट भवन, संजौली, शिमला, हि0 प्र0।	सदस्य
4.2.4.9 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री महेन्द्र शर्मा, सूपुत्र पं0 अम्बादत शर्मा, गांव व डाक घाटी, त0 व जिला सोलन, हि0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सतीश कश्यप, स्थानीय निवासी, नजदीक मेन बाज़ार अर्की, जिला सोलन, हि0 प्र0।	सदस्य

4.2.4.10 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 ।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 ।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री राकेश ठाकुर, सूपुत्र श्री तेजवीर सिंह ठाकुर, गांव अप्पर जामली, डाकघर सुरला, त0 नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ।	सदस्य
2	श्री संजीव कुमार, (निट्टू) राजगढ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ।	सदस्य

दिनांक 01.04.2014 से 29.07.2014 तक मण्डलायुक्त शिमला, मण्डी, धर्मशाला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे तदोपरान्त सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84-टी0पी0टी0-लूज-प्प दिनांक 30.07.2014 के अनुसार मण्डलायुक्त के स्थान पर निदेशक परिवहन, हि0 प्र0 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनित किया गया ।

4.3.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य

स्टेज कैरिज परमिट जारी करना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अर्न्तगत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाते हैं । प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में निजी क्षेत्र तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में निम्न परमिट जारी किये हैं :-

बस का प्रकार	कुल जारी किये गये स्थाई परमिट
निजी क्षेत्र की बसें	07
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें	88
प्राईवेट सर्विस व्हीकलज	473

4.3.2 माल भार वाहनों के परमिट जारी करना

प्रदेश में माल ढोने का कार्य मुख्यतः ट्रकों द्वारा ही किया जाता है जिनमें आलू, सेब तथा अन्य कृषि उत्पादों की समयबद्ध ढुलाई भी सम्मिलित है । अतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु गुडज कैरियर के लिए राज्य के परमिट जारी करना और राष्ट्रीय परमिटों का नवीनीकरण भी किया जाता है । प्रतिवेदन वर्ष में जारी मालभार वाहन परमिटों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1.	स्थायी परमिट	3430
2.	राष्ट्रीय परमिटों का नवीनीकरण	13435

4.3.3 समय सारिणी जारी करना

प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए समय-समय पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता में संयुक्त समय सारिणी की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें निजी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का आने तथा जाने का समय निर्धारित किया जाता है जिसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

4.3.4 प्रतिहस्ताक्षर

किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट किसी अन्य क्षेत्र में तब तक वैध तथा मान्य नहीं होता जब तक कि वह उस क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो इसी प्रकार किसी एक राज्य का परमिट दूसरे राज्य में वैध नहीं होगा जब तक वह उस राज्य के राज्य प्राधिकरण या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो ।

परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है।

4.3.5 विशेष पथ कर

वर्ष 2000 से पहले बसों का यात्री कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता था । सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-2000 से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चलने वाली बसों से विशेष पथकर एकत्रित करके सूचना हर माह मुख्यालय को दी जाती है । प्रतिवेदन वर्ष 1.4.2014 से 31.3.2015 तक विशेष पथकर की एकत्रित राशि मु0 36.58 करोड़ रु0 प्राप्त हुई है ।

4.3.6 राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अन्तर्गत एक सदस्यीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है जिसका अतिरिक्त कार्यभार सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया है। यह प्राधिकरण राज्य परिवहन तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलों की सुनवाई करता है । प्राधिकरण का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थित है ।

5 परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली

परिवहन विभाग सभी प्रकार के वाहनों के परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों का निर्वहन करना, हि0प्र0 के साथ लगते प्रदेशों के साथ अन्तर्राज्यीय स्टेज कैरिज, गुडज कैरिज सम्बन्धी पारस्परिक समझौते करना, यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत जो कि वर्ष, 1977 से लागू है, अनुग्रह राशि का भुगतान करना, राज्य परिवहन उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूंजी निवेश करना, मोटर वाहन अधिनियम व नियम तथा हि0प्र0 मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा नियमों के अधीन समस्त करों की उगाही करना तथा नियमों की व्याख्या एवं कार्यन्वयन करना इत्यादि कार्य परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में शामिल हैं ।

6 विभाग के आंकड़े:-

6.1 परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है :-

मांग संख्या	लेखा शीर्ष	सहायता / उपदान	अनुदान / अंशदान
25	3055 / 190 / 01, गैर-योजना	1,35,00,00,000	उपदान हेतु
25	3055 / 190 / 01, योजना	30,00,00,000	सहायता अनुदान (वेतन)
	5055 / 050 / 01 योजना	7,64,99,000	बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 050 / 03 योजना	75,00,000	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण
	5055 / 050 / 03 योजना	1,89,00,000	एकीकृत परिवहन प्रणाली
	5055 / 190 / 02 / योजना	26,34,00,000	पूँजीगत परिव्यय
31	5055 / 796 / 01, योजना	3,60,00,000	टी0ए0एस0पी0 पूँजीगत परिव्यय
	5055 / 796 / 02, योजना	38,50,000	टी0ए0एस0पी0 बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 796 / 04, योजना	30,99,000	एकीकृत परिवहन प्रणाली
32	5055 / 789 / 01 योजना	10,06,00,000	एस0सी0एस0पी0 पूँजीगत परिव्यय
	5055 / 789 / 02 योजना	25,00,000	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का निर्माण
	5055 / 789 / 03 योजना	1,76,99,000	<u>डप-मण्डल / विकास</u> खण्ड के अंतर्गत बस अड्डों का निर्माण
	5055 / 789 / 04 योजना	75,00,000	एकीकृत परिवहन प्रणाली (आई0टी0एस0)

विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 में व्यय की गई राशि तथा आय का मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

6.2 व्यय

(क)	3055-सड़क परिवहन, योजना	---
	3055-सड़क परिवहन, गैर योजना	6,78,58,548
	जोड़	6,78,58,548
(ख)	2041-वाहनों पर कर योजना	---
	2041-वाहनों पर कर, गैर-योजना	2,97,23,776
	जोड़ :	2,97,23,776
(ग)	3056-जल परिवहन गैर-योजना	5,41,597
	जोड़	5,41,597

(घ)	2059—कार्यालय भवनों की मुरम्मत	1,920.
	जोड़	1,920
(ङ)	2235—यात्री अनुग्रह राशि	59,50,000
	जोड़	59,50,000

6.3 आय

0041—वाहनों पर कर	2,20,10,39,758	
1055—सड़क परिवहन	1,31,85,984	
	कुल जोड़	2,21,42,22,742

6.4 वाहनों के निरीक्षण उपरान्त पासिंग

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 38 के प्रावधानों के अनुसार सभी नए एवं पुराने परिवहन वाहनों के यन्त्रवत और सही प्रचलन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बोर्ड द्वारा सूनिश्चित किया गया है। बोर्ड का गठन नीचे दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 जो कि जुलाई, 1989 से लागू है के अन्तर्गत नये वाहनों की पासिंग दो वर्ष के लिए की जाती है जबकि पुराने वाहनों की पासिंग एक वर्ष के लिए की जाती है।

बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित है :-

1. सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि0प्र0
2. सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि0प्र0

वर्ष 2014-15 में उपरोक्त कथित बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	कुल पास किए गये वाहन
1	बड़े माल-वाहन ;सभी प्रकार के	15672
2	छोटे मालवाहन ;सभी प्रकार के	22632
3	प्राइवेट सर्विस व्हीकल्ज़	402
4	स्टेज कैरिज बसें	4272
5	शिक्षा संस्थानों की बसें	1535
6	कान्ट्रैक्ट कैरिज :	
	(क) ओमनी बसें	334
	(ख) टैक्सियां	4196
	(ग) मैक्सी कैबज़	4382

8.	एम्बूलैन्सें	413
9.	अन्य वाहन जो उपरोक्त में नहीं दर्शाए गए हैं।	9421
	कुल वाहन	63259

6.5 हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1-4-2014 से 31-3-2015 तक लिये गए सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि0प्र0 व सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि0प्र0 कथित बोर्ड द्वारा किये गए चालक लाईसैन्स टैस्ट का विवरण दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक लिए गये कुल टैस्ट 84779

जितनों ने टैस्ट पास किया 75001

जितने अनुतीर्ण हुए 10614

अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाईसैन्स 152

टैक्सियों एवं अन्य पर्यटन वाहनों का पंजीकरण सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण व सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है ।

6.6 वर्ष 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के वाहनों का पंजीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1	एम्बूलैन्स	AMBULANCE	196
2	बसें	BUS	1077
3	क्रेने	CRANE	21
4	डिलीवरी वैन	DELIVERY VAN	07
5	अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट	EARTH MOVING EQUIPMENT	180
6	एक्सवैटर	EXCAVATOR	84
7	एक्सप्लोसिव वैन	EXPLOSIVE VAN	1
8	फायर फाइटर	FIRE FIGHTER	5
9	पैसेन्जर एण्ड गुड्स व्हीकल	PASSENGER AND GOODS VEHICLE	1
10	हैवी गुड्स व्हीकल	HEAVY GOODS VEHICLE	2204
11	ट्रैक्टर (प्राइवेट)	TRACTOR (PVT.)	34
12	ट्रैलर एग्रीकल्चर	TRAILOR AGRICULTURE	2
13	इनवैलिड कैरिज	INVALID CARRIAGE	10
14	जीप टैक्सी	JEEP TAXI	30
15	एल0एम0वी0 (कार)	L.M.V. (CAR)	27365
16	एल0एम0वी (इम्पोर्टेड)	L.M.V. (IMP.)	26
17	एल0एम0वी (वैन)	L.M.V. (VAN)	462
18	एल0एम0वी (जिप/जिप्सी)	L.M.V.(JEEP/GYPSY)	1517
19	लाइट गुड्स व्हीकल	LIGHT GOODS VEHICLE	4760
20	मैक्सी कैब	MAXI CAB	868
21	मीडियम गुड्स व्हीकल	MEDIUM GOODS VEHICLE	446
22	मिनी बस	MINI BUS	237
23	मोपेड	MOPED	732
24	मोटर कैब/ कार टैक्सी	MOTOR CAB / CAR TAXI	1488
25	मोटर साइकल	MOTOR CYCLE	38472
26	मोटर साइकल (इम्पोर्टेड)	MOTOR CYCLE (IMP.)	54
27	हीर कार (एल0एम0वी0)	HEERS CAR (LMV)	1
28	मोबाइल सर्विस वैन	MOBILE SERVICE VAN	1

29	ओमनी बस	OMNI BUS	34
30	ओमनी बस (प्राईवेट)	OMNI BUS(PVT)	140
31	पी0एस0वी0 मोटर कैब	PSV MOTOR CAB	406
32	रिकवरी वैन (हल्के)	RECOVERY VAN (LIGHT)	4
33	डम्पर	DUMPER	3
34	स्कूटर विद साईड कार	SCOOTER WITH SIDE CAR	18
35	स्कूटर मोपेड	SCOOTER/MOPED	21363
36	रिकवरी वैन (मीडियम)	RECOVERY VAN (MEDIUM)	1
37	टैन्कर	TANKER	6
38	थ्री व्हीलर (गुड्स)	THREE WHEELER (GOODS)	113
39	थ्री व्हीलर (पैसेन्जर)	THREE WHEELER (PASSENGER)	154
40	थ्री व्हीलर (प्राईवेट)	TOURIST MAXI CAB	28
41	टूरिस्ट मोटर कैब/ टैक्सी	TOURIST MOTOR CAB / TAXI	37
42	ट्रैक्टर (एग्रिकल्चर)	TRACTOR (AGRICULTURE)	52
43	ट्रैक्टर (कॉमर्शियल)	TRACTOR (COMMERCIAL)	1257
44	रोड रोलर	ROAD ROLLOR	1
45	ट्रांसिट मिक्सर	TRANSIT MIXER	8
46	यूटीलिटी वैन	UTILITY VAN	2
47	सेल्फ लोडर कोनिक मिक्सर	SELF LOADER CONIC MIXER	3
48	थ्री व्हीलर (प्राईवेट)	THREE WHEELER (PRIVATE)	1
	कुल	Total	103859

6.7 इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कार्यन्वयन हेतु विभागीय अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहते हैं । प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप सैलानियों का आवागमन पूरे वर्ष चला रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रदेश में प्रवेश स्वभाविक है । वाहनों की अधिक आवाजाही से मोटरयान अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन करने की घटनाएँ भी अधिक बढ़ जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती है । चैकिंग के दौरान किए गए चालानों तथा वसूल की गई समझौता राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

01.04.2014 से 31.03.2015 तक किये गये चालानों की संख्या	समझौता राशि प्राप्त हुई
51011	रु0 764.25 लाख

6.8 प्रदूषण चैकिंग

परिवहन विभाग, हि0प्र0 में पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 24 स्मोक मीटर व 25 गैस एनेलाईजर तथा 6 ध्वनि लैवल मीटर उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निजी व सरकारी क्षेत्र मे भी 72 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किये गए है। वाहन का प्रदूषण नियन्त्रण में है, का प्रमाण पत्र तीन मास के लिए जारी किया जाता है।

जिन वाहनों का प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है उनके वाहन स्वामियों को वाहनों की मुरम्मत करने के लिए कहा जाता है तथा दूसरी बार चैक करके यदि प्रदूषण नियन्त्रण में है तो प्रदूषण नियन्त्रण जांच का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है । उपरोक्त में दर्शाये गए यन्त्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं :-

क्र० सं०	स्थान	स्मोक मीटर	गैस एनेलाईजर	ध्वनी लेवल मीटर
1.	शिमला मुख्यालय	1	1	—
2.	तारादेवी	1	1	1
3.	रामपुर	1	1	—
4.	भावानगर	1	1	—
5.	सोलन	1	1	1
6.	नालागढ़	1	1	—
7.	नाहन	1	1	—
8.	पांवटा साहिब	1	1	—
9.	बिलासपुर	1	1	—
10.	मण्डी	1	1	1
11.	सुन्दरनगर	1	1	—
12.	कुल्लू	1	1	1
13.	मनाली	1	1	—
14.	धर्मशाला	1	1	1
15.	पालमपुर	1	1	—
16.	जसूर	1	1	—
17.	डमटाल	1	1	—
18.	चम्बा	1	1	—
19.	बनीखेत	1	1	—
20.	ऊना	1	1	—
21.	गगरेट	1	1	—
22.	हमीरपुर	1	1	1
23.	नदौन	1	1	—
24.	दाड़लाघाट	1	1	—
25.	परवाणू	—	1	—
	कुल..	24	25	6

6.9 परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 84 निजी व अर्ध सरकारी संस्थाओं को प्राधिकृत किया है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रदूषण चैकिंग संस्था की संख्या
1	शिमला	9
2	सोलन	14
3	मण्डी	7
4	बिलासपुर	3
5	कुल्लू	5
6	हमीरपुर	7
7	कांगड़ा	23
8	ऊना	6
9	चम्बा	5
10	सिरमौर	5

11	किन्नौर	0
12	लाहौल एवं स्पिति	0
	कुल	84
	पथपरिवहन निगम	5
	निजी क्षेत्र में	79

6.10 चालक प्रशिक्षण स्कूल

परिवहन विभाग द्वारा अच्छे प्रशिक्षित चालक उपलब्ध करवाने हेतु निजी व सरकारी क्षेत्र में 207 चालक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन)	हल्के परिवहन वाहन	भारी परिवहन वाहन	कुल
1	शिमला	32	2	5	39
2	सोलन	14	5	2	21
3	कांगड़ा	29	5	4	38
4	मण्डी	30	7	5	42
5	कुल्लू	6	2	1	9
6	बिलासपुर	9	0	6	15
7	ऊना	2	0	3	5
8	चम्बा	0	1	4	5
9	सिरमौर	7	0	1	8
9	किन्नौर	5	0	0	5
10	हमीरपुर	15	1	4	20
	कुल	149	23	35	207
श्रेणीवार संक्षिप्त विवरण					
	श्रेणी	आई0टी0आई0	हिमाचल पथ परिवहन निगम	निजी क्षेत्र	कुल
	एल0एम0वी (एन0टी0पी0टी0)	5	1 (ऑटो)	143	149
	एल0टी0वी0	4	0	19	23
	एच0टी0वी0	2	13	20	35
	कुल	11	14	178	207

7 बस अड्डों का निर्माण

बस अड्डों का निर्माण बसों के रात्री ठहराव तथा बसों की आवाजाही पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त [उप-मण्डल/खण्ड](#) स्तर पर तथा जन जातीय क्षेत्रों में आधुनिक बस अड्डों का निर्माण करवा कर आने-जाने वाले बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रदेश में बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 1-4-2000 को हो चुका है । अब समस्त बस अड्डों से सम्बन्धित कार्य बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा ही किए जाते हैं ।

प्रतिवेदन वर्ष में उप-मण्डल/खण्ड स्तर पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण करने के लिये विभिन्न उप-योजना में रु0 941.98 लाख की राशि बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को जारी की गई।